न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 28/2023

जीसीएमएस नम्बर : 2023/130

प्रार्थीगण:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
कानाराम पुत्र पुनाजी जाति नायक निवासी रूंगड़ी तहसील रानी जिला पाली		1. पप्पुराम पुत्र मगनाराम जाति नायक निवासी रूंगड़ी तहसील रानी जिला पाली 2. ग्राम पंचायत सांवलता जरिये सरपंच तहसील रानी जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विरमाराम मीणा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सांवलता द्वारा मिसल संख्या 52/2019–20, संकल्प संख्या 04 दिनांक 24.11.2019 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी पप्पुराम पुत्र मगनाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 04.12.2019 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ग्राम रूंगड़ी तहसील रानी का मूल निवासी है तथा उनका पट्टासुदा मकान मय भूखण्ड ग्राम रूंगड़ी में स्थित है, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में रूपाराम पुत्र लच्छा जी नायक, दक्षिण दिशा में रास्ता, पूर्व दिशा में पोकरराम पुत्र पुनाजी नायक, पश्चिम दिशा में रास्ता व दरवाजा एवं पप्पूराम का कमरा है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष 25 बाई 28 फीट कमरे का पट्टा बनाने का आवेदन पेश किया जबकि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में 25 बाई 42 फुट का पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया 25 बाई 28 फीट के पट्टे के अनुसार की गई। इसके पश्चात् प्रार्थी की पट्टे सुदा भूमि को शामिल करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत ने बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना कोई नक्शा बनाये, बिना कोई पंचों की कमेटी गठित किए, बिना कोई आपत्ति आमंत्रित किये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रक्रिया की पूर्णतया अवहेलना है, इसलिये विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य किया

अति. जिला कलेक्टर, पाली

गया है, जिसकी अनुमति ग्राम पंचायत स्वयं ने दी है। साथ ही उक्त पट्टा पंजीबद्ध है। निगरानी याचिका पेश करने का मुख्य कारण रास्ता है और रास्ते के सम्बन्ध में अनुतोष सिविल न्यायालय से ही प्राप्त किये जा सकते है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा आवेदन पेश करने पर ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमों की अनुपालना में विधिनुसार प्रश्नगत भूमि का नक्शा तैयार कर, तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करवाकर, आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा होने एवं विधिक प्रावधानों की पालना होने पर ग्राम पंचायत ने नियमानुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी को केवल परेशान करने की नियत से प्रार्थी ने बिना किसी उचित विधिक प्रावधानों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत सांवलता द्वारा मिसल संख्या 52/2019–20, संकल्प संख्या 04 दिनांक 24.11.2019 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी पप्पुराम पुत्र मगनाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 04.12.2019 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पूर्व के जारी पट्टेसुदा भूमि को शामिल करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। इस उज्र का खण्डन करते हुये विपक्षी अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के पुराने कब्जे के आधार पर अप्रार्थी की कब्जे सुदा भूमि पर ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाते है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पट्टा संख्या 44 दिनांक 29.05.2017 को जारी किया, जिसके पश्चिम दिशा में रास्ता व दरवाजा अंकित है। इसी प्रकार जैर निगरानी पट्टे के पड़ौस में पूर्व दिशा में कानाराम पुत्र रूपाराम नायक अंकित है अर्थात् जैर निगरानी पट्टे के पूर्व दिशा में प्रार्थी का पट्टासुदा भूखण्ड है। प्रार्थी के पक्ष में पट्टा वर्ष 2017 में जारी सुदा है और उसमें पश्चिम दिशा, जो कि जैर निगरानी पट्टे की पूर्व दिशा है, में रास्ता व दरवाजा अंकित है जबकि वर्ष 2019 के जैर निगरानी पट्टे के पूर्व दिशा में कानाराम अंकित है। यदि पूर्व के पट्टे में रास्ता स्थित हो तो वर्तमान पट्टे में उसी दिशा में किसी व्यक्ति का नाम कैसे अंकित हो सकता है। इसके अतिरिक्त मिसल की प्रथम आदेशिका दिनांक 22.07.2019 में अंकितानुसार अप्रार्थी 25 बाई 28 फीट आवासीय मकान का पट्टा बनाना चाहते हैं जबकि उक्त पट्टा 25 बाई 42 फीट का जारी किया गया। जब ग्राम पंचायत स्वयं अप्रार्थी का मकान 25 बाई 28 फीट पर मान रहे है तो प्रश्नगत पट्टा 25 बाई 42 फीट पर कैसे जारी कर सकते है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टे के पूर्व दिशा में स्थित रास्ते की भूमि अथवा प्रार्थी की पट्टेसुदा भूमि को शामिल करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिस वजह से उक्त भूमि के पड़ौस पूर्व दिशा में रास्ते की जगह कानाराम का नाम अंकित है। यदि किसी भूमि का बाद में कोई दूसरा पट्टा जारी किया जाता है जो पहले पट्टाधारी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो यह विधि सम्मत नहीं होगा और रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

लक्ष्मणसिंह (2018) में यह स्पष्ट किया कि एक भूमि पर दो पट्टे जारी करना अधिकारों का दुरूपयोग है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त सीताराम बनाम राजस्थान सरकार (2019) में माननीय न्यायालय ने अंकित किया कि भूमि पट्टों में द्वैत अधिकार नहीं बन सकते, यदि ऐसा होता है तो बाद में जारी पट्टे को अवैध माना जाएगा तथा मधु सुकन्या बनाम ग्राम पंचायत (2019) में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि पट्टों की स्थिति में प्राथमिक पट्टा वैध माना जाएगा और दूसरा पट्टा रद्द किया जाएगा अर्थात भूमि के पट्टों का दोहरीकरण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक हितों के खिलाफ भी है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की एवं साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) DNJ 1147, 2018 (1) DNJ 111, 2010 (2) RLW (RJ) page 968 भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।" साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टा पंजीबद्ध है जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता। विपक्षी अधिवक्ता ने उक्त कथन का विरोध करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रस्ताव की पालना में जारी पट्टे को खारिज करने का अधिकार केवल मात्र न्यायालय हाजा को ही फिर चाहे वो पट्टा पंजीबद्ध ही क्यों न हो। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की पुष्ठि हेतु दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाते है कि जैर निगरानी पट्टा किसी पंजीयन कार्यालय द्वारा पंजीबद्ध किया गया हो ऐसे कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये। अब यदि मान ले कि उक्त पट्टा पंजीबद्ध है तो प्रश्न यह उठता है कि किसी प्रस्ताव की पालना में जारी पट्टा, जो कि पंजीबद्ध हो रखा है तो क्या न्यायालय हाजा द्वारा उस प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है ? पंजीबद्ध पट्टा

अति. जिला कलेक्टर पाली

आम तौर पर सम्पति के अधिकार को मजबूत बनाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई पट्टा अनुचित तरीके से जारी हो गया हो तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रेशन को "सुरक्षा की छतरी" नहीं माना जाता, जब तक कि पट्टा वैध रूप से जारी न हुआ हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Dalip Singh vs State of Punjab, 1976 के निर्णय में स्थापित किया कि रजिस्ट्रेशन केवल दस्तावेजीकरण है, यह पट्टे की वैधता की गारंटी नहीं देता। इसका अर्थ है कि कोई भी पंजीकृत पट्टा न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि वह नियमों के विरूद्ध पाया जाए। साथ ही कई मामलों में यह पाया गया है कि यदि पट्टा निर्बाध और वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया है, तो उसे रद्द किया जा सकता है, यदि वह पंजीकृत भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय ने Issack Khan vs State of Rajasthan, 2018 में अंकित किया कि पट्टा जारी हो चुका था और पंजीकृत भी था, लेकिन उसमें यह तथ्य था कि पट्टाधारक उस वक्त सिर्फ 14–15 वर्ष का था और भूमि पर उनके पुराने कब्जे का दावा स्वीकार्य नहीं था। इसलिये न्यायालय ने पाया कि पट्टा विधिक दोषपूर्ण था और उसका पंजीकरण रद्द करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त Ghewar Chand & Anr vs State of Rajasthan & Ors., 2017 में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि पट्टा अनुचित रूप से जारी किया गया हो, भले ही वह रजिस्टर्ड हो तो उसे धारा 97 के तहत निरस्त किया जा सकता है। धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/ कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उक्त आज्ञा की पालना में जारी पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया उसके साथ प्रश्नगत भूमि का नक्शा पेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मिसल की प्रथम आदेशिका में अंकित किया कि आवेदन शुल्क जमा किये परन्तु उक्त आवेदन शुल्क, मौका निरीक्षण शुल्क, नक्शा शुल्क की राशि वास्तव में कब, किस माध्यम से एवं किस रसीद संख्या के अन्तर्गत जमा कराई गई, इसका कोई अभिलेख अथवा प्रमाण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उस पर सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल एक गवाह के हस्ताक्षर है, उनकी वल्दियती अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this

अति. जिला कलेक्टर पाली

mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधिसम्मत नही है, जिसे कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सांवलता द्वारा मिसल संख्या 52/2019–20, संकल्प संख्या 04 दिनांक 24.11.2019 एवं उसकी पालना में पप्पुराम पुत्र मगनाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 04.12.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली